कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. 07662-241655 ई-मेल - deanmcrewa@rediffmail.com
फैक्स नं. 07662-241655 वेबसाईट- www.ssmcrewa.com

क्रमांक............................/स्था/अराज/एमसी/2024 रीवा, दिनांक..............................

//आदेश//

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 2188–2201/स्था/नर्सिंग/2024, भोपाल, दिनांक 25.07.2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में एवं "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018" के प्रावधानों अंतर्गत चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रीवा से बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण (बैच 2018–19) बांडेड अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की बॉन्ड अवधि पूर्ण करने हेतु नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों के विरूद्ध उनके नाम के समक्ष दर्शित चिकित्सालय में आगामी अन्य आदेश तक 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक मानदेय रू. 10,000/– (दस हजार रूपए) मात्र पर अस्थायी रूप से निर्धारित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

S. No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Alloted Hospital
1	2	3	4
1.	Diptija Singh	Mr. Hitendra Singh	SSB
2.	Riya Bhagat	Mr. Dhaneshwar Ram bhagat	SSB
3.	Neeta Yadav	Mr. Ram Bhan Yadav	SSB
4.	Arpita Prajapati	Mr. Munnilal Prajapati	SSB
5.	Jyoti Patel	Mr. Shivkumar Patel	SSB
6.	Nidhi Neerat	Mr. Balmik Neerat	SSB
7.	Monika Rawat	Mr. Mansut Rawat	SSB
8.	Sapna Choudhary	Mr. Kemla Choudhary	SSB
9.	Ranjna Kanel	Mr. Raisingh Kanel	SSB
10.	Arti Ganveer	Late. Mr. Shankar Rao Ganveer	SSB
11.	Kiran Bhallavi	Mr. Suraj Bhalavi	SSB
12. *	Hemulata Sikka	Mr. Semual Sikka	SSB
13. *	Pritee Katare	Mr. Ram Singh	SSB
14.	Jeenat Parvin	Mr. Kamluddin Siddiqui	GMH & SGMH
15.	Aradhana Patel	Mr. Hanuman Prasad Patel	GMH & SGMH
16.	Anjna Tiwari	Mr. Umesh Kumar Tiwari	GMH & SGMH
17.	Jyoti Gupta	Mr. Umesh Prasad Gupta	GMH & SGMH

क्रमशः पेज...02

Dean
S. S. Medical College
Rewa (M.P.)

S. No.	Candidate's Name	Father/Husband's Name	Alloted Hospital
1	*2*	*3*	*4*
18.	Sheetal Gautam	Mr. Lalji Gautam	GMH & SGMH
19.	Nilam Sahu	Mr. Har Sevak Sahu	GMH & SGMH
20.	Kajal Patel	Mr. Rakesh patel	GMH & SGMH
21.	Madhusmita Dwivedi	Mr. Sumit Kumar Dwivedi	GMH & SGMH
22.	Parnita Singh	Mr. Tejbhan Singh	GMH & SGMH
23.	Gunjan Mishra	Mr. Bhagwat Mishra	GMH & SGMH
24.	Madhu Gupta	Mr. Dileep Gupta	GMH & SGMH
25.	Khushboo Mishra	Mr. Ravi Naresh Mishra	GMH & SGMH
26.	Radha Gupta	Mr. Sheshmani Gupta	GMH & SGMH
27.	Shalini Hardaha	Mr. Meva Lal	GMH & SGMH
28.	Priyanka Janghela	Mr. Vishnu Janghela	GMH & SGMH
29.	Shambhavi Sharma	Mr. Pradeep Sharma	GMH & SGMH

नोटः– * स.क्र. 12 एवं 13 के अभ्यर्थियों को क्रमशः डिजिटल जाति प्रमाण पत्र एवं बी.एससी नर्सिंग पाठ्यक्रम का डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही कर्त्तव्य पर उपस्थित कराया जावेगा।

सेवा शर्ते :–

1. आदेश जारी होने के दिनांक से **15 दिवस** के भीतर अधिष्ठाता कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. कार्यरत् अभ्यर्थी की 03 माह पश्चात् परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् संबंधित को नर्सिंग ऑफिसर के पद का वेतनमान 28700–91300 (लेवल–07) दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
5. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक, भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान **रूपये 28700–91300 (लेवल–07)** में न्यूनतम वेतन रूपये 28,700/– प्रति माह एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

क्रमशः पेज...03

Dean
S. S. Medical College

7. यह बॉण्ड सेवाएं 05 वर्ष की निश्चित समयावधि के लिए होंगी। चयनित अभ्यर्थी को बॉण्ड की सेवा शर्तों के आधार पर 05 वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा। 05 वर्ष की सेवाएं न देने की स्थिति में बॉण्ड की राशि रू. 02,00,000/– (दो लाख रूपए) जमा करना अनिवार्य होगा।
8. चयनित अभ्यर्थी की सेवा "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018" एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन शासित होंगी।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
10. चयनित अभ्यर्थी हड़ताल, असामाजिक गतिविधियों आदि में भाग नहीं लेंगे।
11. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
12. नियुक्त व्यक्ति को 100/–रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
13. नियुक्त व्यक्ति को 100/–रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि यदि संस्था द्वारा किसी कारणवश अधिक धनराशि का भुगतान किया जाता है तो मेरे स्वत्वों (जैसेः– एन.पी.एस. इत्यादि) से नियमानुसार वसूल किया जा सकेगा।
14. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
15. अभ्यर्थी को धुलाई भत्ता/यूनिफार्म भत्ता एवं रात्रिकालीन भत्तों की पात्रता नहीं होगी।
16. चयनित अभ्यर्थी की ड्यूटी अवधि तीन पालियों में लगाई जा सकेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा रोस्टर अनुसार जिस पाली में ड्यूटी लगाई जावेगी, उस पाली मे ड्यूटी करना तथा ड्यूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई ड्यूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण, नियमों के तहत् कार्यवाही की जावेगी।
17. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

//

(डॉ. सुनील अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमशः पेज...04

पृ.क्र.18327-35/स्था./अराज./एम.सी./2024 रीवा, दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
3. संचालक, नर्सिंग सह–चिकित्सा, म.प्र. भोपाल।
4. रजिस्ट्रार, म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, म.प्र. भोपाल।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
6. अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा।
7. स्थानीय अनुभाग, लेखा शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52–2210–01–110–1353–0101–42–002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
8. संबधित की ओर भेजकर लेख है कि कार्य पर उपस्थित होने के पूर्वरू. 4/– का ट्रेजरी चालान हेड –0210–03–200–0000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)